२७।२।२६ पत्रा० पेश हुई। वकु० उप०। मूल वाद पत्र [नोटरीस] के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र [212 सीपीसी] का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र [धारा सीपीसी] इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।